सत्यमेव जयते

राजस्थान राज–पत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority

श्रावण 10, सोमवार, शाके 1938–अगस्त 1, 2016
Sravana 10, Monday, Saka 1938–August 1, 2016

भाग 6 (ख)

जिला बोर्डों, परिषदों एवं नगर आयोजना संबंधी विज्ञप्तियां आदि।

नगर निगम, अजमेर

अजमेर, जुलाई 5, 2016

नगर निगम अजमेर भवन विनियम, 2015

संख्याः न.नि.आ./अनि/709 :–नगर निगम अजमेर की साधारण सभा के प्रस्ताव संख्या 2 के सम्बंध में हुई बैठक दिनांक 28.10.2015 व 02.11.2015 तथा दिनांक 27.11.2015 के द्वारा नगर निगम अजमेर भवन विनियम, 2015 की स्वीकृति प्रदान की गयी है, उक्त उपविधियाँ राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 (राजस्थान नगर पालिका अधिनियम संख्या 18 वर्ष 2009) की धारा 339 तथा 340 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगर निगम, अजमेर एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है तथा एतद् द्वारा सर्वसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित की जाती है।

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ

1.1 ये विनियम नगर निगम, अजमेर भवन उपनियम 2015 कहलायेंगे।

1.2 ये विनियम राजस्थान राज पत्र में प्रकाशित होने की तारीख से प्रवृत होंगे।

1.3 इन विनियमों का विस्तार नगर निगम (चार दीवारी क्षेत्र एवं अजमेर मेरवाडा म्यूनिसिपल रेग्यूलेशन 1925 के अन्तर्गत अधिसूचित भवन विनियम 1937 तथा नगर परिषद (वर्तमान में निगम) अजमेर (भवन) उपनियम 1965 में वर्णित पुराने शहर क्षेत्र की सीमाओं को छोडकर) के अन्र्तगत आने वाले क्षेत्रों में होगा।

2. परिभाषाऐं

इन उपनियमों में जब तक विषय अथवा संदर्भ द्वारा अन्यथा अपेक्षित नहीं हो :–

2.1 अधिनियम से राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 अभिप्रेत है।

2.2 अधिशाषी समिति से उक्त अधिनियमों के अधीन गठित समिति अभिप्रेत है।

2.3 अग्नि शमन अधिकारी नगर निगम द्वारा नियुक्त अग्नि अग्नि शमन अधिकारी अभिप्रेत है।

2.4 अनुसूची से इन उपनियमों के साथ संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है।

2.5 आयुक्त से अधिनियम के अधीन नियुक्त आयुक्त/उपायुक्त अभिप्रेत है।

2.6 आच्छादित क्षेत्रफल से भूमि का आच्छादित क्षेत्रफल जो कुर्सी तल के ठीक ऊपर भवन द्वारा आच्छादित हो, अभिप्रेत है। यदि भवन स्टिल्ट पर बना है तो ठीक उसके ऊपर का तल क्षेत्र आच्छादित क्षेत्र की गणना का आधार होगा।

2.7 औद्योगिक भवन से कोई भवन या किसी भवन की संरचना का भाग जिसमें किसी भी प्रकार की सामग्री बनाई, संयोजित या प्रसंकृत की जाती है, इनमें वेयर हाउसिंग भी सम्मिलित है, अभिप्रेत है।

2.8 कुर्सी से भूतल फर्श के धरातल और भूखण्ड के सामने कें मुख्य सडक के तल के बीच की संरचना का नाम अभिप्रेत है।

2.9 कुर्सी क्षेत्र से बेसमेन्ट की छत या भू मंजिल के फर्श के स्तर पर निर्मित आच्छादित क्षेत्र अभिप्रेत है।

2.10 खुला स्थान से भूखण्ड का वह भाग जो आकाश की ओर खुला हो या पारदर्शी अथवा अर्धपारदर्शी मेटेरियल से ढका हो, अभिप्रेत है।

2.11 ग्राम पंचायत से राजस्थान पंचायत अधिनियम संशोधन 1994 के अन्तर्गत गठित ग्राम पंचायत अभिप्रेत है।

2.12 गोदाम से कोई ऐसा भवन या किसी भवन का भाग है जो कि मुख्य रूप से सामान के भण्डारण के काम आता हो, अभिप्रेत है।

2.13 ग्रुप हाउसिंग – ग्रुप हाउसिंग से तात्पर्य 5000 वर्गमीटर व इससे अधिक क्षेत्रफल के ऐसे आवासीय भूखण्ड/स्थल, जो 18 मीटर एवं इससे अधिक चौडी सडक पर स्थित हो, पर फलेटस के ब्लॉक्स/आवासो के समूहों के निर्माण से है।

2.14 फ्लेटस – फ्लेटस से तात्पर्य 12 मीटर एवं इससे अधिक चौडी सडकों पर 750 वर्गमीटर एवं उससे अधिक क्षेत्रफल के आवासीय भूखण्डों पर एक से अधिक निवास इकाईयों/आवास समूहों के निर्माण से है।

2.15 **चार दिवारी क्षेत्र** से अजमेर शहर के चारदीवारी (परकोटा) से घिरा हुआ, (दरवाजों, दीवारों और दरवाजों के खंदों इत्यादि सहित) अभिप्रेत है।